झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–09 / 2020

तिलक यादव .... याचिकाकर्त्ता

बनाम

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता की ओर से : श्री विनोद कुमार दुबे, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से : ए0पी0पी0।

02 / 13.01.2020 पक्षों को सुना।

याचिकाकर्त्ता मयुरहंड थाना काण्ड संख्या–29 वर्ष 2019 से उत्पन्न एस0 टी0 वाद संख्या 266 वर्ष 2019, जी0 आर0 संख्या 735 वर्ष 2019 के संबंध में एक अभियुक्त है।

सूचक के बहन का विवाह विजय यादव के साथ 11 वर्ष पूर्व सम्पन्न हुआ। उसे यह जानकारी हुई कि उसके बहन को उसके पति एवं ससुर के द्वारा जहर दी गई।

याचिकाकर्त्ता मृतक का ससुर प्रतीत होता है एवं वह 5.7.2019 से हिरासत में है।

यह एफ0आई0आर0 से प्रतीत होता है कि हमला करने, मृतक और उसके बच्चों को जलाने की कोशिश के लिए विशेष रूप से विजय यादव को जिम्मेदार ठहराया गया है। याचिकाकर्त्ता के खिलाफ आरोप सामान्य प्रकृति का और सर्वग्राह्य है।

उपरोक्त के बावजूद, याचिकाकर्त्ता, जिसका नाम ऊपर है, को 10,000/– रूपये (दस हजार मात्र) के जमानत बांड को प्रस्तुत करने पर एवं विद्वान जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-III की संतुष्टि पर, समान राशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, मयुरहंड थाना काण्ड संख्या 29 वर्ष 2019 से उत्पन्न एस0टी0 वाद संख्या 266 वर्ष 2019, जी0आर0 संख्या 735 वर्ष 2019 में मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

ह0

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)